<u>परामर्श संख्या-5</u>

स ० ए. - 110014 /10 / 2020 /सी.ए.क्यू. एम. - एस. बी. आयतन- II – 573

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षत्रों में,

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वॉ ताल, जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दिनांक: 28 जुलाई, 2021

सेवा में,

मुख्य सचिव,

पंजाब सरकार,

6 ठा तल, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट-1, सेक्टर-1,

चंडीगढ़-160001

<u>आयोग की ओर से परामर्श</u>

विषय: पराली जलाने की समस्या हल करने के लिए निकास द्वार पर पराली प्रबंधन के बारें में |

1. जब कि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य हिस्सेदारों / ज्ञान संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद संस्थान (आई. सी. ए. आर.), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ((आई. ए. आर. आई.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संस्थान (आई. एस. आर. ओ.), गैर सरकारी संगठन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम कर रहे नागरिक समाज समूहों आदि के साथ हुई विभिन्न बैठकों में अपना मत व्यक्त किया कि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में धान पराली जलाना एक गंभीर चिंता का विषय रहा है|

2.जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्यों सरकारों और जी. एन. सी. टी. डी. को पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान किया और दिनांक 10 जून, 2021 को जारी निर्देशों के तहत पराली जलाने की समस्या को हल करने हेतु बनाई गई रूपरेखा के आधार पर विस्तृत / व्यापक कार्य योजना तैयार करें|

3. जबकि निकास द्वार पर फसल अवशिष्ट प्रबंधन (सी. आर. एम.) पराली जलने की समस्या को हल करने की एक प्रमुख रणनीति संरचना है|

4. जबकि निकास द्वार पर पराली प्रबंधन विषय पर 13 जुलाई, 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष महोदय ने की जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों, नई दिल्ली, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (एन. टी. पी. सी.) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया| बैठक में अन्य बातों के साथ – साथ, इस बात पर चर्चा की गई कि, पराली का उपयोग कोयला आधारित ताप विद्युत् संयंत्रों में किया जा सकता है|

5. जबकि धान की भूसी का बड़ा वैकल्पिक प्रयोग ताप विद्युत् संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, इंट का भट्टा, आदि में अवशेष के तौर पर इंधन के रूप में किया जा सकता है, साथ ही अंतिम उत्पाद के रूप में जैसे गोली (पैलेटेस / कोयले की ईट, जैव-ईंधन, (बायो-इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायो गैस), पोर्टेबल बोर्ड, कंप्रेस्ड अग्रीपानेल, पैनल फर्नीचर, पैकिंग के लिए सामग्री आदि पर बैठक में ज़ोर दिया गया|

6. निकास द्वार पर कारगर विकल्प के रूप में मुख्य चुनौती यह है कि जबकि आयोग ने जोर दिया और दोहराया की विकास द्वार पर कारगर विकल्प के रूप में मुख्या चुनौती यह है कि धान की भूसी की निरन्तर उपलब्ध्ता सुनिश्चित करना और उसे विभिन्न उपयोग करनेवालो

(एन्ड यूजर्स) को देना और सुद्दढ़ आपूर्ति क्रम को दोनों पक्षों (पूर्ति व् मांग पक्ष) की ज़रूरतों के अनुसार स्वस्थ्य सरंचना नीति विकसित करने की बड़ी चुनौती है|

7. जबकि, एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत् संयंत्रों में पेलेट/ तोरीफाइड पेलेट के रूप में धान की भूसी का एक बड़ा शक्तिशाली एन्ड यूजर है, अन्य बातों के साथ -2 मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला कि: -

i) यह तकनीकी रूप से सम्भव है और कार्यान्वित किया जा सकता है कि ताप विद्युत् संयंत्रों में 5-10% अनुपात में कोयले के साथ बायो-मास पेलेटस को को- फायर किया जाए|

(ii) धान की भूसी के पेलेटस, को बड़े क्रिटीकल संयंत्र में को-फायरिंग करने मे कोई तकनीकी प्रयोग किया जा रहा है/ संयजों में सुपर क्रिटीकल संयंत्र में को-फायरिंग करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं हैं और तीन एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत् संयंत्रों में सुपर क्रिटीकल बोयलरों में प्रयोग किया जा रहा है|

(iii) एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत संयन्त्रों में बायो-पेलेट्स के प्रयोग को बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है और 17 संयंत्रों में लगभग 50 लाख ((5 मिलियन) टन बायो मास प्रति वर्ग उपयोग किया जाएगा|

(iv) ताप विद्युत् संयंत्रों में निजी उद्यमियों और विक्रताओं द्वारा धान की भूसी/बायो मास पेलेट्स की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए|

(v) एनटीपीसी धान की भूसी के पेलेट्स का उपयोग करने के लिए समर्पित है, जो कि संयंत्र के दरवाजे के निकट उपलब्ध किया जाना चाहिए|

(vi) चूकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में कई ताप विद्युत् परियोजनाए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वे ऐसे विद्युत् संयंत्रों में निकटता, परिवहन और संभार मूल्य को प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए बायोमास पेलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है|

(8.) जबकि विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार ने बायोमास (जैव ईंधन) सी. ई. ए., एनटीपीसी , डीवीसी और एनएलसी के प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय बायोमास मिशन की शुरुआत की है, जहाँ एनटीपीसी मिशन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और ढांचागत सहायता प्रदान करेगा|

(9.) जबकि आयोग को अवगत कराया गया कि नई एवं नवीकरणीय संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न, जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए सहायता देने और बायो मास आपूर्ति की श्रृंखला की मदद के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है|

10. जबकि निकास द्वार पर फसल अवशिष्ट प्रबंधन और नीतिगत ढांचा बनाने और इस उद्देश्य से पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक आवश्यकता है|

11. और इसलिए पंजाब राज्य सरकार को परामर्श, दिया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम उठायेंगे: -

(i) लघु वहन करने योग्य उपकरण (कटर रेकर्स, वालरर्स) का विकास और मार्गदर्शन प्रतिभाशाली ढंग से सभी मौसमों में आदान-प्रदान की अर्थव्यवस्था मॉडल के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है|

(ii) बड़ी संख्या में अवशिष्ट प्रबंधन उपकरणों को समर्थ उद्यमी आपूर्ति और वितरण करें |

(iii) कम कीमत पर दीर्घ कालीन धान की भूसी के लिए भण्डारण सुविधा का विकास आर्थिक सहायता, ऋण गारंटी, जमानत को कम करना आदि के द्वारा किया जा सकता है|

(iv) किसानों के लिए धान के अवशिष्ट के मूल्य की लागत शोध मॉडल का प्रदर्शन उद्यमियों/ एफ.पी. ओ. की धान की भूसी के विभिन्न एन्ड यूज़र्स को जोड़ कर की जा सकती है|

(v) धान की भूसी अवशिष्ट के एन्ड यूज़ की लाभ प्रदता का प्रदर्शन करना|

(vi) विक्रेन्द्रीकृत नवोत्पाद फैलाना एवं प्रवर्धन जो कि धान की भूसी से ऊँची कीमत वाले बहुत से उत्पाद होते हैं||

(12) इसके अतिरिक्त, पंजाब की राज्य सरकार को परामर्श, दिया जाता हैं की कि इस बात पर ध्यान दे कि धान की भूसी से बने जैवईंधन पेलेट्स और गरम चारकोल को सफलतापूर्वक ताप विद्युत् संयंत्र में दोनों को 10 % के अनुपात में मिश्रित करके एक साथ बिना किसी बोयलर में बदलाव किए प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए ताप विद्युत् संयंत्रों में धान की भूसी का उपयोग निम्नवत किया जा सकता है:

(i) धान की फसल के अवशिष्ट को निकास द्वार पर कच्चे माल की निश्चित एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत नीति बनाना|

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित ताप विद्युत् संयंत्रों में धान की भूसी के पेलेट्स को इधर के तौर पर, प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ताप विद्युत् संयंत्रों के निकट पर्याप्त मात्रा में भूसी उपलब्ध है|

(iii) धान की भूसी के पेलेटिंग इकाई / को बढ़ावा देने और स्थापित करने के लिए राज्य में रणनीतिक रूप से भौगोलिक स्तिथि में होनी चाहिए चाहिए जहाँ सांभर तंत्र की आपूर्ति अधिकतम हो सकें|

(iv) एन. टी. पी. सी. द्वारा संचालित ताप विद्युत् संयंत्रों में और सम्बंधित राज्यों में संचालित टी. पी. पी. में) धान की भूसी का प्रयोग करने के लिए. एन. टी. पी. सी. से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएँ|निजी विद्युत् संयंत्रों के लिए भी ऐसी सम्भावना की तलाश की जा सकती है|

<u>परामर्श संख्या-5</u>

(v) इस प्रकार की दक्षता हासिल करने हेतु, राष्ट्रीय जैवईंधन मिशन और एन. टी. पी. सी. से पंजाब राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक सहायता के लिए संपर्क करना चाहिए |

(vi) विभिन्न योजनाओं के अधीन यह निकास द्वार संयंत्रों के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु अधिक सहायता और आसान ऋण, भारत सरकार, नव और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा दिए जा सकते है

उपर्युक्त परामर्श पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को भेजी जायेगी |

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
फ़ोन सं:011-20861974
ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in